# छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

**निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़**
**शंकर नगर, रायपुर**

*अपील प्रकरण कमांक 107/2009*

1. श्री के0के0 गांगुली, -
*अपीलार्थी*
बी-105, सूर्या अपार्टमेन्ट,
कटोरा तालाब, रायपुर (छत्तीसगढ़)

**विरूद्ध**

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय जेल मुख्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

*//आदेश//*
*(दिनांक 18 अगस्त, 2009)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री के0के0 गांगुली द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जेल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर के समक्ष दिनांक 01.09.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 17.10.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील का समयावधि में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा नियमानुसार पूर्ण निराकरण नहीं किये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 21.11.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में चूंकि शुल्क की राशि अधिक दर से ली गई थी, अतः जमा शुल्क राशि 300/- रूपये में से 294/- रूपये की राशि लौटाने के आदेश दिये गये थे, जो उन्हें लौटायी गई है। प्रथम अपीलीय अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा गया था, जिन्होंने पत्र दिनांक 30.05.2009 से स्पष्टीकरण दिया था और दिनांक 21.09.2008 के माध्यम से प्राप्त जानकारी उनकी ओर भेजने का उल्लेख किया है, अतः उनका स्पष्टीकरण संतोषप्रद मान्य किया जाता है। प्रकरण में अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर श्री जे0के0 देवांगन, जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 11.08.2009 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत उत्तर में श्री देवांगन ने बताया कि विषयांकित प्रकरण पूर्व का है, जब वे जन सूचना अधिकारी नही थे, अतः उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है और पूर्व में श्री के0के0 सिन्हा, सहायक संचालक, वित्त जन सूचना अधिकारी थे। श्री के0के0 सिन्हा को भी सुनवाई के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना गई थी, जो उन्होंने प्राप्त की है, किन्तु वे सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में शेष जानकारी और राशि 294/- रूपये स्पीड पोस्ट एवं मनीआर्डर से भेजना बताया गया, किन्तु घर में ताला बन्द होने के कारण वापस आने पर अंतिम सुनवाई दिनांक को दिया गया। अपीलार्थी प्रकरण में प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हो गये थे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

यद्यपि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री के0के0 सिन्हा ने कारण बताओ सूचना पत्र का कोई संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, किन्तु उनकी कोई दुर्भावना नहीं होने से जारी कारण बताओ सूचना पत्र ही निरस्त किया जाता है, किन्तु उनका स्थानांतरण प्रशासन अकादमी में हो चुका है और उन्हें आयोग में उपस्थित होने की सूचना दिये जाने के बावजूद अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुये, तथा विलंब तो थोड़ा उनके द्वारा किया ही गया है। अतः उन्हें भविष्य हेतु अधिक सतर्कतापूर्वक कार्य करने के लिए सचेत किया जाता है। साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए विभाग की ओर से धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 300/- रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com